Saathi

Date 16/05/2020 Page- 1 to 3

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

B.A., PART-IST
POLITICAL SCIENCE
PAPER-I (BASIC PRINCIPLES OF POLITICAL THEORY)
CH-10 (CONCEPT OF EQUALITY)
LECTURE NO.- 30 (THIRTY)

औपचारिक और वास्तविक समानता में भेद–

औपचारिक समानता वह स्थिति है जिसमें एक देश के संविधान द्वारा सभी नागरिकों के लिए समानता की घोषणा तो कर दी जाती है, परन्तु उस समानता की स्थिति को वास्तविक रूप से स्थापित करने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किए जाते हैं और ऐसी स्थिति में नागरिकों की समानता संविधान के पृष्ठों पर ही सिमट कर रह जाती है, जीवन की वास्तविकता नहीं बन पाती है।

वास्तविक समानता वह स्थिति है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा न केवल समानता की घोषणा की जाए, वरन् व्यवहार में उन परिस्थितियों की भी स्थापना की जाए जिनके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तव में समानता का समुचित उपभोग किया जा सके।

वास्तविक समानता की स्थापना हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ या दशाएँ और उपाय –

(1) स्वतंत्रता और समानता की संतुलित धारणा को अपनाना –

वास्तविक समानता स्थापित करने हेतु हमें स्वतंत्रता और समानता की संतुलित

Saathi

Date __/__/__

धारणा को अपनाना होगा, चूँकि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है।

(2) विशेषाधिकारों का अभाव —

जिस समाज में धर्म, जाति या जन्म के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों या समूहों को विशेषाधिकार होता है, उस समाज में वास्तविक समानता की स्थापना करना असम्भव हो जाता है। इसीलिए वास्तविक समानता की स्थापना हेतु विशेषाधिकारों का अभाव नितान्त आवश्यक है।

(3) व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर —

वास्तविक समानता की स्थापना हेतु बिना किसी भेदभाव का सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित एवं समान अवसर प्रदान किए जाएं।

व्यक्तित्व के विकास के समान अवसरों में यह बात भी निहित है कि राज्य के द्वारा पीड़ित, शोषित, वंचित एवं निर्धन व्यक्तियों के विकास के लिए विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिए, ताकि वे सम्पन्न वर्ग के साथ प्रतियोगिता कर पाएंगे और 'समान अवसरों की स्थिति' उत्पन्न हो सकेगी।

भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण की जो व्यवस्था की गयी है वह समानता का उल्लंघन नहीं, वरन वास्तविक समानता की प्राप्ति का ही एक प्रयास है।

(4) पर्याप्त सीमा तक जाति और धर्म निरपेक्ष समाज —

वास्तविक समानता हेतु धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ही पर्याप्त नहीं होती, इससे आगे बढ़कर

Page No.

Saathi

Date ___/___/_____

'धर्म और जाति निरपेक्ष समाज' की स्थापना के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में 'अस्पृश्यता के अंत' की व्यवस्था की गई है।

(5) अधिकतम सम्भव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना —

वास्तविक समानता की स्थिति कायम करने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि अधिकतम सम्भव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए, क्योंकि जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना नहीं होगी, राजनीतिक और नागरिक समानताएँ मात्र 'थोथी घोषणाएँ' बनकर रह जाएँगी। धनी व्यक्ति अपने धन के बलबूते पर समाज के निर्धन व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर लेंगे और निर्धन व्यक्तियों के लिए समानता मात्र औपचारिक बनकर रह जाएगी। यह स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके इसके लिए जरूरी है कि समाज में धन का उचित वितरण हो और वास्तविक समानता को प्राप्त किया जा सके।

x——x——x——x——x—x

संभावित प्रश्न :-

औपचारिक और वास्तविक समानता में अन्तर स्पष्ट कीजिए। वास्तविक समानता की स्थापना के लिए क्या किया जाना चाहिए? स्पष्ट कीजिए।

Page No. ____